मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1733/798/2017/19/यो भोपाल, दिनांक 31/3/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

2. परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, भोपाल।

विषयः— केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निराकृत की जाने की व्यवस्था बावत्।

संदर्भः— नस्ती कमांक 401/एम.डी.आर./ई.एम.डी./2016—17/164 पर टीप दिनांक 06.02.2017

—0—

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 09.06.2016 द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण एवं निराकृत व्यवस्था लागू की गई है। उक्त आदेश में लिफाफा "ए" से "सी" तक की कार्यवाही की समय सीमा निर्धारित की गई है। उक्त आदेश के परिपालन में निविदा में प्राप्त ई.एम.डी. के सत्यापन हेतु तीन दिन का समय देकर संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को लेख किया जाता है लेकिन तीन दिन के अंदर ई.एम.डी. का सत्यापन प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदा के वित्तीय आफर खोलने में विलंब होता है। अतएव राज्यशासन एतद द्वारा निविदा प्रकरणों की प्रकिया सुचारू रूप से समयावधि में पूर्ण हो इसके लिये जारी व्यवस्था में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1/— लिफाफा "ए" खोलने के पश्चात ई.एम.डी. के सत्यापन हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को लेख कर कार्यवाही प्रारंभ की जावे एवं आगे की प्रकिया जारी रखी जा सकती है। जिन निविदाओं में प्रीक्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है वहॉ निविदा खोलने वाले अधिकारी द्वारा उसी दिन लिफाफा "सी" (वित्तीय ऑफर) खोला जा सकता है एवं प्राप्त दर अनुसार उनके द्वारा या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निविदा का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकिया के पूर्ण होने तक भी यदि ई.एम.डी. का सत्यापन नहीं होता है तो निविदा का निराकरण कर संबंधित कार्यपालन यंत्री को एल.ओ.ए जारी करने के पूर्व ई.एम.डी. का सत्यापन सुनिश्चित करने के पश्चात ही एल.ओ.ए. जारी करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

2/— जिन निविदाओं में प्रीक्वालिफिकेशन की आवश्यकता है उनमें भी लिफाफा "ए" एवं लिफाफा "बी" (तकनीकी ऑफर) एक साथ खोलकर तकनीकी मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है एवं तकनीकी मूल्यांकन की अवधि में ई.एम.डी. का सत्यापन करवाया जा सकता है। यदि तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने तक भी ई.एम.डी. का सत्यापन नहीं होता है तो पात्र/अपात्र निविदाकारों की सूची मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) को प्रस्तुत कर वित्तीय ऑफर खुलवाकर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकिया के पूर्ण होने तक भी यदि ई.एम.डी. का सत्यापन नहीं होता है तो निविदा स्वीकृति आदेश में

संबंधित कार्यपालन यंत्री को एल.ओ.ए. जारी करने के पूर्व ई.एम.डी. के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

3/– निविदा में लिफाफा "ए" में निविदाकार द्वारा मूल एफिडेविट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उसके द्वारा यह शपथ दी जाती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख पूर्ण रूप से सत्य है। यदि निविदा स्वीकृति के उपरांत कोई निविदाकार की ई.एम.डी. फर्जी पाई जाती है तो मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक एफ–17–1/2010/19/बी/244 दिनांक 24.03.2015 में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख असत्य पाये जाने पर कंडिका 1 में निविदाकार को निलंबन एवं काली सूची में डालने का प्रावधान किया गया है। यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत ई.एम.डी. फर्जी पाई जाती है तो वह शासन के आदेश दिनांक 24.03.2015 के अनुसार दोषी पाया जायेगा और एल.ओ.ए. जारी करने के पूर्व निविदाकार को निलंबन/काली सूची में डालने का प्रस्ताव संबंधित अधिकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ई.एम.डी. सत्यापन हेतु यथासंभव त्वरित प्रकिया यथा ई–मेल आदि अपनाई जाकर सत्यापन कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का प्रयास किये जायें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

31.3.2017

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0क्रमांक 1734/798/2017/19/यो भोपाल, दिनांक 31/3/2017

प्रतिलिपिः–

1– समस्त मुख्य अभियंता, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
2– समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.।
3– समस्त अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
4– समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.।
5– समस्त कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
6– समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।
7– निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0 लोक निर्माण विभाग।

31.3.2017

सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग